संख्या-39 /2023/I/291612/2023/009-71-2099-263-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2-कुल सचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत के0जी0एम0यू0, लखनऊ हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यीम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट /2022-23/831, दिनांक 14.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0 लखनऊ में असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में के0जी0एम0यू0, लखनऊ हेतु असाध्य रोगों के ईलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्गत बी0एम0-9 प्रपत्र दिनांक 20.03.2023 (बी0एम0-9 संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
2. कुल सचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी एक वित्तीय वर्ष के देयक अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।
3. उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु नियमावली 2013 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. वित्तीय वर्ष 2022-2023 में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13-2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त/नियंत्रक का होगा।
6. धनराशि को कोषागार से सम्बन्धित संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,00,000 ( रुपये दस करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 221005105 0368 आसाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

( अशोक कुमार )
विशेष सचिव।

**संख्या-39 /2023/I/291612/2023/009-71-2099-263-2021, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( प्रेम शंकर तिवारी )
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

**पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति**

**(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)**

A071-20222023-71-2099-263-2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में असाध्य रोगों के ईलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत के0जी0एम0यू0, लखनऊ हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

**निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण**

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 2210051050393 (फेज-III के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन) | 31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) | 35,00,00,000 (रुपये पैंतीस करोड़ मात्र) | 35,00,00,000 (रुपये पैंतीस करोड़ मात्र) | -1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) | 34,00,00,000 | 2022-2023 |
| 031 | 2210051050371 (चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना) | 31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) | 49,05,00,000 (रुपये उनचास करोड़ पांच लाख मात्र) | 14,78,45,000 (रुपये चौदह करोड़ अठहत्तर लाख पैंतालीस हजार मात्र) | -5,50,00,000 रुपये पांच करोड़ पचास लाख मात्र | 43,55,00,000 | 2022-2023 |
| 031 | 2210051050367 (किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश में बी.पी.एल./अंत्योदय कार्डधारकों, लावारिस / विपन्न मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा) | 20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र | 4,16,67,000 रुपये चार करोड़ सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र | -3,50,00,000 रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र | 1,50,00,000 | 2022-2023 |

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 2210051050368 (आसाध्य रोगो के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा) | 20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)) | 1,00,00,00,000 (रुपये एक अरब मात्र) | 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र) | 1,10,00,00,000 | 2022-2023 |

**कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-**

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2022.23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में फेज ।।। के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन में हेतु मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में रू0 100.00 लाख, चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना के अन्तर्गत मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) में रू0 550.00 लाख एवं किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 में बी0पी0एल0/अंत्योदय कार्ड धारकों, लावारिस/विपन्न मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0 350.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 1000.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक-22.02.2023 एवं दिनांक-03.03.2023 द्वारा असाध्य रोगों के ईलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 1000.00 लाख की मॉग की गयी है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या: आर0ई0-बजट-1-544/2022-23, दिनांक- 20 मार्च, 2023

सेवा में,

महालेखाकार

(ए0 एण्ड ई0)

उ0प्र0 प्रयागराज।

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

(पवित्र कुमार)
विशेष सचिव।

**संख्याः 74 /2023/71-2099-263-2021, दिनांक- 20 मार्च, 2023**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. कुल सचिव, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
7. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव